SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ipk;rh jkt e efgyk l'kfädj.k vkj jktuhfrd fodkl

lrk"k dekj] राजनीति विज्ञान विभाग,
सबौर कॉलेज, सबौर, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
lrk"k dekj] राजनीति विज्ञान विभाग,
सबौर कॉलेज, सबौर, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 10/10/2022
Revised on : -----
Accepted on : 17/10/2022
Plagiarism : 00% on 10/10/2022

'kk/k lkj

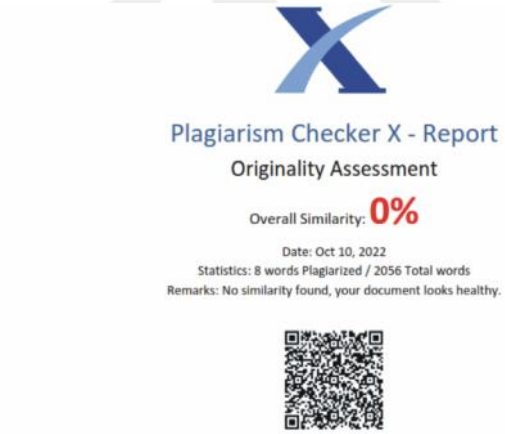

भारत में 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' मनाया गया तथा 2001 में ही महिला उत्थान नीति 2001 लागु कर महिलाओं का मजबूत बनाने की दिशा में अभुतपूर्व कदम उठाया गया। इतिहास साक्षी है कि कोई भी देश तभी विकसित होता है जब वहाँ की महिलाएँ सबल और शिक्षित होती है। नेपोलियन बोनापार्ट का कथन इस संदर्भ को और अधिक प्रकाशमय कर सकता है– "तुम मुझे शिक्षित माँ दो मैं तुम्हें एक विकसित और अनुशासित राष्ट्र दूँगा।" महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय समाज एवं राष्ट्र की गतिविधियाँ निर्णय लेने एवं सहभागी बनने की स्वतंत्रता से है। सशक्तिकरण महिलाओं में वैसी क्षमता का विकास है जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता के कायम रखते हुए अपनी इच्छानुसार करे तथा अपने मन में आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत कर सके।

e[; 'kCn

l'kfädj.k] vkRefo'okl] LokfHkeku] ykdr=] ipk;rhjkt] çfrfufèkRo·

Hkfedk

एक सभ्य समाज में नारी को अगर राजनीतिक स्तर पर अधिकार प्राप्त हो तभी ही एक न्यायपूर्ण समतामूलक समाज एवं राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। आजादी के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था एक मजबूत व्यवस्था साबित हुई है। महिलाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन एक मजबूत दस्तावेज के रूप में राजनीतिक अधिकारों को प्रदान करती है। पहली बार पंचायत स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण मिलना एक क्रांतिकारी कदम माना जा सकता

है। 2022 ई में पंचायती राजव्यवस्था के तहत भारत के सभी राज्यों में तीन से चार बार पंचायती चुनाव करवाये जा चुके हैं। अधिकांश राज्यों में यथा झारखण्ड–बिहार में 33 के दायरे को आगे बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी 50 प्रतिशत आरक्षण के बदौलत बड़े पैमाने पर पंचायत पर महिलाएँ वार्ड सदस्य, मुखिया, उपमुखिया, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् के पदों पर चुनकर आई है। अब केन्द्र सरकार द्वारा भी पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूत क्रांति मानी जा सकती है।

आज की बदलती हुई परिस्थिति में पंचायती राज व्यवस्था लगता विकास की ओर आगे बढ़ रही है, जो महिलाएँ कभी घर के बाहर नहीं आ पाती थी अब ग्राम सभा में सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। जिन महिलाओं को अब तक पति के नाम से जाना जाता था वे मुखिया, सरपंच, जिला परिषद् अध्यक्ष बनकर कार्य कर रही है। इसके अलावे बड़ी संख्या में पढ़ी–लिखी महिलाओं ने भी पंचायती राज का चुनाव लड़ा, बहुत सारी महिलाएँ बड़ी नौकरी भी छोड़कर पंचायती राजव्यवस्था में अपना योगदान कर रही है।

पंचायती राजव्यवस्था में जो महिला कभी रबर स्टांप मानी जाती थी अब वो ग्रामीण विकास के साथ भारत विकास के लिए तत्पर है। लगातार महिलाओं का समुह जागरूक हो रहा है, ग्रामीण स्तर पर इसके द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। पिछले तीन से पाँच चुनावों के दौरान ये अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक रही। बिहार में फरवरी 2022 में पंचायत चुनाव किये गए तथा झारखण्ड में मई–जून 2022 में पंचायत का तीसरा चुनाव किया गया जिसमें महिलाओं ने अनारक्षित सीटों पर भी जीत का परचम लहराया, वे लगातार अपने कार्य व्यवहार में सुधार लाती गई।

विगत 15 से 20 वर्षों में महिलाओं ने अपने हक की हर लड़ाई को जमकर लड़ी तथा बहुत क्षेत्रों में सफलता पाई। इन वर्षों में महिला शिक्षा 10 से 19 प्रतिशत तक बढ़ी जो एक रिकार्ड मानी जा सकती है। आज महिलाओं ने प्राथमिक स्तर से उच्चतर स्तर तक की शिक्षा में अपना कीर्तिमान गढ़ा है। 2022 के संघ लोकसेवा आयोग के अंतिम परिणाम में प्रथम 10 स्थानों में 08 स्थान तक महिलाओं ने प्राप्त किया है।

voèkkj.kk vkj fodkl

आज की बदलती हुई परिस्थितियों में पंचायती राज व्यवस्था में संसदीय प्रजातंत्र की सभी बुराइयाँ जैसे भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, महिला, उत्पीड़न, अत्याचार, शोषण, जातिवाद, संप्रदायवाद आदि समस्याएँ आ गई हैं तथा लगातार केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके अधिकार में कटौती की जा रही है। ग्रामीण स्तर पर वित का ना होना, वित्तीय कुप्रबंध भी एक समस्या रही है। आज करीब–करीब सभी राज्यों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिये जा रहे है, परन्तु अधिकांश स्थानों पर निरक्षर महिलाएँ भी चुनकर आ रही है, जो अपने पति की पहचान भर है तथा लगातार पंचायतों का काम तकनीकी रूप से बढ़ने लगा है, जिसमें अधिकांश महिलाएँ मजबूती से कार्य नहीं सीख पा रही है। राज्य सरकारों द्वारा महिला प्रतिनिधियों के ट्रेनिंग की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे उनके कार्य पर असर पड़ता है।

Look the world through women, बीजिंग घोषणा पत्र के बिन्दु 14 में यह लिखा गया है कि महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार है। अतः महिलाओं के सामर्थ्य के आधार पर समाज के सभी क्षेत्रों में समानता के आधार पर पूर्ण भागीदारी की नीति अपनायी जानी चाहिए, जिससे निर्धारण की सक्रिय भागीदारी एवं शक्ति के हर स्तर पर महिलाओं की पहुँच हो सके। भारत में भी महिला उत्थान के लिए निम्नत्तर बिन्दु निःसंदेह पंचायती राज की व्यवस्था है। इसमें महिलाओं की भागीदारी के दो स्तर आते हैं, पहला स्तर महिलाओं के अंदर जागरूकता जिसके चलते वे समाज में जन प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए आगे आती है, चुनाव में भाग लेती है, चुनाव जीतती है तथा शक्ति के केन्द्र के रूप में स्वयं को स्थापित करती है, दूसरा बिन्दू का पक्ष है समाज में महिलाओं को उनके कार्य के लिए कितनी सहभागिता प्राप्त होती है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर की अन्य महिलाएँ अपनी जैसी महिला को वोट देती है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तथा लगातार वह उसके सही गलत कार्यों का आंकलन करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समानता, विकास, समरसता, शान्ति तथा भारत को प्रगति के पथ पर लाने के लिए लगातार महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है क्योंकि समाज की आधी आबादी महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास की कल्पना भी बेमानी है।

महात्मा गाँधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं से प्रेरित होकर ग्राम पंचायतों में महिला भागीदारी पर इसलिए जोर दिया था कि सर्वांगीण विकास और सामाजिक समरसता तब ही अपने उच्चतर रूप को प्राप्त कर सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्थानीय स्तर पर स्वशासन के लिए प्रतिबद्ध हो। उन्होंने पंचायती राज की कल्पना 'स्थानीय संसद' के रूप में की थी तथा ग्राम सभाओं को विशिष्ट महत्व दिया था। आज के भारत में पंचायती राज संस्थाएँ अपने विशिष्ट रूप को प्राप्त कर रही हैं, इसके बावजूद भी महिलाओं के लिए पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था होना जरूरी है। यह आरक्षण सिर्फ चुनाव के लिए 50 प्रतिशत की आरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसके आगे भी अनेक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ावा देना चाहिए, जैसे झारखण्ड सरकार द्वारा जितने भी आवास का निःशुल्क निर्माण किया जाता है सभी का स्वामित्व उस घर की महिला के नाम पर होना चाहिए, आगे यदि पंचायत स्तर पर जमीन की खरीद की जाती है तो उसमें महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करवाने में कुछ सरकार शुल्क की माफी का प्रावधान किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देने के लिए महिला संघों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है तथा इसी के आधार पर सरकार द्वारा भी लोन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता है, जिससे धन का प्रसार निम्नतम स्तर पर होगा तथा महिलाएँ आत्मविश्वास की ओर बढ़ेंगी।

ÇHkkO

पंचायती राज व्यवस्था चार मान्य बुनियादी धारणाओं पर आधारित हैः (1) राजनीति में प्रत्येक वर्ग की जनता की भागीदारी (2) आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को जुटाना (3) लोकतंत्र में बुनियादी संस्थाओं का समावेश करना (4) राष्ट्रीय एकता की गारंटी। इन सभी पहलूओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के अभाव में सम्पूर्ण लोकतांत्रिक संरचना अपूर्ण रहेगी तो दूसरी तरफ उनके सशक्तिकरण के आभाव में राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया अधूरी रहेगी इसलिए महिलाओं को पंचायतों के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव आया हैः

(1) पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण की ही देन है कि पिछले बारह वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। जैसेः कर्नाटक में 43 प्रतिशत, केरल में 39 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 37 प्रतिशत तथा बिहार में 50 प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है।

(2) राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में सुधार आया है। आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

(3) पंचायत स्तर पर तथा नगरपालिका में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण से संसद एवं राज्य की विधायिकाओं में भी महिलाओं को आरक्षण देने का दबाव बढ़ता जा रहा है तथा आने वाले समय में यह बदलाव देखने को मिलेगा।

(4) पंचायतों में महिलाओं की विगत 12–13 वर्षों की भागीदारी से यह सिद्ध हो गया है कि जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक असंतुलन में सुधार तथा महिलाओं के हितों को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है।

(5) पंचायतों के माध्यम से समाज की धार्मिक अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता, कुशासन एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन में महिलाओं ने प्रतिकूल वातावरण में भी अच्छा काम किया है।

(6) पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी से नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, उर्जा सुरक्षा, प्रकृति संसाधनों का प्रबन्धन पर्यावरण की सुरक्षा, एड्स आदि जैसे ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दे जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध महिलाओं से हैं, सशक्तिकरण एक माध्यम है।

(7) पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के विकास जैसे चिन्तन का विकास हुआ है और एक नयी चेतना का सूत्रपात हुआ है।

अतः भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाना है तो महिलाओं के सम्पूर्ण एवं वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पंचायतों में महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है क्योंकि अधिकतर पंचायत के पास अपना कोई राजस्व नहीं है तथा नीति निर्धारण करने का प्रावधान नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का सर्वथा अभाव है इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने के बजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए तथा पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक सशक्तिकरण संभव हो सकेगा।

l>ko

1. महिलाओं को शिक्षित करना होगा, ताकि उनको पंचायत का लेखा–पत्र, नियम पढ़ने या लिखने में सुविधा हो।
2. महिलाओं में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जागरूकता लानी होगी, ताकि उनके राजनीतिक अधिकार क्या है? सामाजिक दायित्व कौन–कौन से है? इसकी जानकारी उन्हें हो सके, साथ ही महिला प्रशिक्षण, चर्चा सभा, महिला सम्मेलन का आयोजन करना होगा।
3. राजनैतिक परिवेश में पुरुष प्रधान की रूढ़िवादी सोच–समझ बदलनी होगी। उनको भी पुरुषों जैसे ही मान–सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी होगी।
4. महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी।
5. आज का युग प्रतियोगिता का युग है। समाज में सामाजिक परिवर्तन हो, समाज का नजरिया बदलना होगा और महिलाओं को अपने मन में हीन भावना का अन्त करना होगा।
6. महिलाओं को शिक्षित एवं जागृत कर, प्रौढ़ शिक्षा का केन्द्र का संचालन करना होगा। इस तरह की समस्या के लिए बुद्धिजीवी वर्ग, दार्शनिकों को आगे आना होगा।
7. प्रत्येक पंचायत स्तर पर महिलाओं को एक सुसंगठित संगठन बनाना होगा ताकि जो वर्तमान समस्याएँ हैं उसके समाधान के लिए सतत् प्रयास कर सके।
8. महिलाओं को रोजगार एवं विकास कार्यक्रम तथा सरकारी और गैर–सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जागरूक होना पड़ेगा।
9. अन्त में महिलाओं को दूरदर्शिता, पारिश्रमशीलता, मृदुवाणी, भाषण क्षमता, संयम, चतुरता, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नेतृत्व शक्ति विकसित करना, सहयोग आदि करना होगा।

अतः हम बड़े विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास के आयाम, जन–जागरूकता, पिछड़े वर्गों का उत्थान, जनसंख्या नियंत्रण, ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रशासन में जन सहभागिता के साथ महिला सशक्तिकरण को आवश्यक रूप से बल मिला है तथा यह राष्ट्र के विकास का सूचक है।

lanHk lwph

1. राठौड़, गिरिवर सिंह. *भारत में पंचायती राज.* जयपुर, पंचशील प्रकाशन, पृ० 103–108.
2. महिपाल. *पंचायती राज में महिलाएँ सीमाएँ और संभावना.* नई दिल्ली, शारांष प्रकाशन.
3. भारत आर्थिक सर्वेक्षण – 2010, 2011, 2015
4. *योजना* – अंक–2017, पृ० 32–33.

5. *कुरुक्षेत्र* – अंक– अगस्त 2018, महिला सशक्तिकरण, पृ० 41–45.
6. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण– 2017, 2018
7. रंजन मनीष. झारखण्ड सामान्य ज्ञान, प्रभात प्रकाशन, 2017.
8. शाहनबाज मो० और तिवारी, संजय कुमार. *झारखण्ड सामान्य अध्ययन,* शिवांगन प्रकाशन, 2017.
9. अंकित और अग्रवाल, अरूण. *झारखण्ड सार–संग्रह.* उड़ान प्रकाशन, 2017.
10. लक्ष्मीकांत, एम०. *भारत की राजव्यवस्था.* टाटा मैकग्रा हिल प्रकाशन, 2017.
11. कुमार, प्रकाश. *झारखण्ड एक परिचय.* टाटा मैकग्रा हिल प्रकाशन, 2017.

****